"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2017 — ज्येष्ठ 24, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

आदेश

क्रमांक एफ 7-15/2017/32. — भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों की सिफारिश किए जाने हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित करती है :-

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मनोनीत माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,

3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.